तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते जवाब दिनांक 26/09/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
26/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 15/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
15/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० संशोधित कॉज टाइटल पेश हुआ वास्ते जवाब दिनांक 18/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० दावा पत्रावली में जवाब पेश किया जा चुका है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 21/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस उभयपक्ष वकील सुनी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। मूलवाद दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। मूलवाद के विधिवत निस्तारण तक प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस
आशय से पेश किया है कि ग्राम सोआला तह० बसवा
हाल तह० बांदीकुई स्थित भूमि खाता से नया 94 पुराना
82 के ख० नं. 1217/291, 289, 290, 292 लगा०
301, 925, 951 लगा० 962, 965, 967 लगा०
975 कुल किता 36 कुल रकबा 12.64 हैक्टे०
स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। भूमि
ख० नं. 1217/291, 289, 290, 292 लगा० 301 के
पूर्व साबिका ख० नं. 425 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा
रहे है जिसमे प्रार्थीगण उसके पूर्वज खातेदार काश्तकार थे।
उक्त वर्णित भूमि का रकबा 4.76 हैक्टे० राजस्व अभिलेख
जमाबंदी मे इंद्राज हो रहा है। किन्तु वर्तमान नक्शा स्थीर
मे रकबा लगायगा 0.25 हैक्टे० कम भूमि की तरमीम
कर रखी है। जबकि मोके पर प्रार्थीगण का रकबा 4.76
हैक्टे० पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से
उक्त गलत नक्शा ट्रेस मे जो तरमीम है को दुरुस्त
करवाने को कहा तो एलानिया मना कर दिया और प्रार्थीगण
से कहा कि हम तो जब हमारे नक्शे मे तरमीम हो
रही है, उस सीमा तक हम तुम्हारी खाम पाल को तोड़कर
उस पर पुख्ता निर्माण कर उस हिस्से की भूमि पर
जबरन कब्जा करके रहेगे। अतः अप्रार्थीगण को
पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण वकील द्वारा जवाब पेश नहीं कर
सीधे बहस की गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस सुनी।
उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन
किया। प्रथम दृष्टया प्राईमा फैसाई केस सुविधा का
संतुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष
मे होना उचित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा
तायैसला मूलवाद के इस आशय से प्रतिबंधित
किया जाता है कि भूमि ख० नं. 287, 288, 271,
272, 275, 276, 285, 283, 284 मे अप्रार्थीगण
बरंग सुर्ख एबी स्थान तक किसी भी प्रकार का कोई

456

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करे, फसल बोने व काटने में व्यवधान पैदा नहीं करें। प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] मूलवाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

[signature] 2/7/2020

न्यायालय
उपजिला
बांदीकुई,

1. विजयसिंह उम्र 40 वर्ष
2. सुबेसिंह उम्र 38 वर्ष
3. मुकेश उम्र 30 वर्ष
4. केशन्ता उम्र 45 वर्ष पुत्री कंचन
5. केशव उम्र 34 वर्ष पुत्र कंचन
6. घासी उम्र 70 वर्ष पुत्र मूला
7. मोहरसिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र रामरख
8. रघुवीरसिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र रामरख
9. रमली उम्र 70 वर्ष पत्नी रामकिशन
10. रामसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र रामकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम
दौसा।

बनाम

1. जयसिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र ओंकार
2. कौशल्या उम्र 75 वर्ष पत्नी अमरसिंह
3. प्रहलाद उम्र 55 वर्ष पुत्र अमरसिंह
4. फूलजी उम्र 75 वर्ष पुत्र रेवड (केशव)
5. माधोसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र अमरसिंह
6. रामू उम्र 48 वर्ष पुत्र अमरसिंह
7. रामकरण उम्र 70 वर्ष पुत्र रेवड (सुबेसिंह)
8. रामकिशोर ...

Scanned with OKEN Scanner